योजनागत गैर-योजनागत खर्च का एककीकरण

4504. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री बरजिन्दर सिंह:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार भविष्य में योजनागत खर्च और गैर-योजनागत खर्च जैसी मदों को एक कर देने के लिए प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो दो भिन्न मदों के एककीकरण के कारण होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि दो विभिन्न मदों के एककीकरण से सरकार को, विभिन्न स्तरों पर योजना खर्च को गैर-योजना खर्च में बदलने से सुविधा होगी?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) सरकार ने बजट में आयोजना और आयोजना-भिन्न अन्तर की व्यापक तरीके से जांच करने और बजट में सरकारी व्यय को कार्यात्मक रूप से संभाव्य और अधिक एकाग्र तरीके से प्रस्तुत करने के लिए एक कार्य दल के गठन का निर्णय लिया है जिसमें योजना आयोग, वित्त मंत्राल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक और कुछ राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसकी घोषणा वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण (पैरा 48 द्वारा) में की गई थी।

(ख) और (ग) पुनरीक्षण की आवश्यकता इसलिए हुई है क्योंकि अनेक अन्य समस्याओं के साथ हमारी बजटीय प्रणाली में आयोजना और आयोजना-भिन्न के बीच अन्तर के कारण आयोजना व्यय पर अधिक ध्यान सहित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण जैसी मदों, जिसे आयोजना-भिन्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है, की तदनुरूपी अनदेखी हुई है। दसवें वित्त आयोग सहित विभिन्न निकायों ने बजट में आयोजना और आयोजना-भिन्न के बीच अन्तर की समाप्ति का समर्थन किया है

अप्रयोज्य आस्थियों (एन०पी०एज०) पर श्री ए०टी० पनीर सेलवान का प्रतिवेदन

4505. **श्री सुखदेव सिंह लिंडसा:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अप्रयोज्य आस्तियों की बढ़ती मात्रा को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा गत वर्ष श्री ए० टी० पनीर सेलवान के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनम): (क) सरकार ने बैंकों के अनुपयोज्य आस्तियों के कारणों का गहराई से अध्ययन करने तथा प्रभावशाली वसूली के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए श्री ए०टी० पनीर सेलवम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) समिति की सिफारिशों में, अन्य बातों के साथ-साथ कानून में परिवर्तन, पूंजी बाजार को पुनः अर्थक्षम बनाना, आस्ति पुनर्गठन, निधि की स्थापन करना, केन्द्रीय / राज्य सरकारों द्वारा गारंटियों को मान्यता देना, संदिग्ध एवं घाटे आस्तियों पुनरीक्षा करना बाइफर के कार्य संचालन में सुधार करना आदि शामिल हैं। इन सिफारिशों से अनुपयोज्य आस्थियों को रोकने और उनमें कमी करने के लिए किये गये सतत प्रयासों में सहायता मिलती है। बैंकों से कहा गया है कि वे ऋण नीति, ऋण वसूली नीति तैयार करें, वसूली के लिए शाखा वार लक्ष्य निर्धारित करें तथा मुख्यालयों में वसूली प्रकोष्ठ स्थापित करें। बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक बोर्ड नियमित अन्तरणालों पर वसूली स्थिति की पुनरीक्षा करते हैं।

Memorandum Regarding Financial Irregularities in DGHC

4506. SHRI DAWA LAMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether an All Party Delegation submitted a memorandum to the Finance Minister on 15.6.98 demanding enquiries into the gross financial irregularities of Darjeeling Gorkha Hill Council;

(b) whether the memorandum contains several instances and proves of financial irregularities; and

(c) whether Government is going to order enquiry against DGHC for scams of hudreds of crores of rupees?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) and (b) On 15th May, 1998 the All Party Forum, Darjeeling & Doars Teral submitted a Memorandum to the Finance Minister which, inter-alia, contains allegations of financial irregularities against the Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC).

(c) The Central Government does not release any funds directly to DGHC. Funds are released to DGHC by the State Government of West Bengal under the State Plan. However, these funds also include a part of the Special Central assistance provided to the State Government of West Bengal under the Hill Areas Development Programme. DGHC is, therefore, accountable to the State Legislature for the proper utilisation of the funds.

Forecast Regarding Rate of Inflation

4507. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Reserve Bank of India forecast an inflation rate of 7.5 per cent for 1998-99;

(b) whether it is a fact that this is higher than the anticipated 5 per cent rate of inflation;

(c) the main causes of this inflationary pressure; and

(d) the steps proposed to bring down inflation to a diminishing level?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) and (b) The Reserve Bank of India had hoped to maintain an annual inflation rate of 5 to 6 per cent while announcing its monetary and credit policy for the first half of 1998-99. The recent spurt in the growth of price has, however, pushed up the annual inflation rate to 8.1 per cent (provisional) as on 11.7.98.

(c) The main reason of up trend in prices is the sharp increase in the prices of some essential commodities such as Vegetables, fruits and edible oils.

(d) A number of policy instruments are put into effect by the Government to bring about moderation in the growth of prices. Fiscal prudence, check in money supply growth and supply side management of wage goods are the principal instruments operated by the Government to control inflationary pressures. Government has reduced duty on import of edible oil from 25% to 15% to facilitate import so as to augment domestic availability. Government as also decided to supply 1.5 lakh tonnes of imported oil through PDS. State Governments have been requested to take action against hoarders under Essential Commodities Act besides directing NAFED to intervene in the market for supplying onions and potatoes.

इंडेक्शन फर्नेस और रोलिंग मिलों पर उत्पाद शुल्क

4508. **श्री रामजीलाल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इंडेक्शन फर्नेस और रोलिंग मिलों पर अब उत्पादनशुल्क उत्पादन के आधार पर न लगाकर एक मुश्त उत्पदन शुल्क लगाया गया है;

(ख) क्या सरकार की इस नीति के कारण 1997-98 के दौरान उत्पाद शुल्क की कम वसूली हुई है और काफी फर्नेस और रोलिंग मिलें बन्द हो गई हैं;

(ग) यदि हां, तो किन-किन राजयों में कितनी मिलें बंद हुई हैं और इससे सरकार को उत्पाद शुल्क के रूप में वसूल होने वाले राजस्व में कितनी कमी आई है; और

(घ) क्या सरकार उत्पादन शुल्क संबंधी अपनी नीति पर पुनर्विचार करेगी और कब तक?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दन): (क) कुछेक विनिर्दिष्ट अमिश्रित इस्पात उत्पादों का विनिर्माण करने वाली इंडक्शन फर्नेस और हॉट रि-रोलिंग इस्पात मिलों को उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता के आधार पर उत्पादन शुल्क अदा करना पड़ता है।

(ख) और (ग) सूचना उपलब्ध नहीं है और इसे एकत्र किया जा रहा है।